

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक- 15.02.2021

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से **कुल - 20 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा- 151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया ।**

04 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चलाये जा रहे वारण्टियों की गिरफ्तारी के अभियान में विभिन्न थानों से 04 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-

01. थाना इटियाथोक द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी रुसे नि० रायपुर ब्रह्मचारी पण्डित पुरवा थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 47 / 21, 02. श्रीमती सरस्वती देवी पत्नी भूरे नि० पण्डित पुरवा रायपुर ब्रह्मचारी थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 48 / 21, 03. श्रीमती संवारी पत्नी जिया लाल नि० पण्डितपुरवा मौजा रायपुर ब्रह्मचारी थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 49 / 21, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

02. थाना कटराबाजार द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. अक्षय कुमार सिंह पुत्र अनिल कुमार नि० जगराहन पुरवा मौजा शाहजोत थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 56 / 21, 02. अजय सिंह पुत्र राम उग्र सिंह नि० जगराहनपुरवा मौजा शाहजोत थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा के कब्जे 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 57 / 21, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

03. थाना को०नगर द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. सोमनाथ पुत्र चैतू नि० डिहवा गंगापुर थाना को०नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 117 / 21, 02. मैकू पुत्र दशरथ नि० डिहवा गंगापुर थाना को०नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 118 / 20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

गैरइरादतन हत्या करने के 02 वांछित आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार-

गोण्डा । सोमवार जनपद गोण्डा के थाना करनैलगंज पुलिस ने गैरइरादतन हत्या करने के 02 वांछित आरोपी अभियुक्तों- 01. तकदीर शंकर पुत्र रामबहादुर, 02. विनोद पुत्र रामबहादुर नि0गण रामऔतारपुरवा मौजा कपूरपुर थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा को थाना करनैलगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 243 / 20, धारा 323.504.304 भादवि0 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया ।

उक्त अभियुक्तों ने आपसी विवाद के चलते वादी सुनील पुत्र फूलचंद नि0 रामऔतार पुरवा मौजा कपूरपुर थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा व उसके परिजनों को लाठी- डण्डा से मारा-पीटा था जिससे वादी के पुत्र सुमित को गंभीर चोटें आयी थी जिसकी दौरान इलाज मृत्यु हो गयी थी । जिसके संबंध में वादी द्वारा थाना करनैलगंज में अभियोग पंजीकृत कराया गया था । जिसमें करनैलगंज पुलिस ने कार्यवाही करते हुए वांछित चल रहे उक्त आरोपी अभियुक्तों को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय खाना कर दिया गया ।